भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1897

जिसका उत्तर 14 दिसंबर, 2023 को दिया गया

किसानों को मुफ्त बिजली

1897. श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि किसानों की लंबे समय से सिंचाई पंप सेट चलाने के लिए मुफ्त बिजली की मांग है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि कृषि भूमि के एक बड़े हिस्से में अभी भी नहर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं है;

(घ) यदि हां, तो सरकार का उन क्षेत्रों में मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने का विचार है जो नहरों से सिंचित नहीं हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख) : राज्य सरकारें किसानों सहित किसी भी उपभोक्ता या उपभोक्ताओं के किसी भी वर्ग को कोई भी सब्सिडी प्रदान करने के लिए स्वतंत्र हैं, बशर्ते राज्य सरकारें वितरण कंपनियों को बिजली की लागत का भुगतान करें ताकि वे वितरण के लिए उत्पादन कंपनियों से बिजली खरीद सकें।

(ग) से (ङ) : "एग्रीकल्चरल स्टेटिस्टिक्स एट ए ग्लांस- 2022" के अनुसार, देश में विभिन्न सिंचाई संबंधी स्रोतों द्वारा सिंचित 64567 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में से, 16908 हजार हेक्टेयर क्षेत्र की नहरों द्वारा सिंचाई होती है **(अनुबंध)**। भारत सरकार ने खेतों पर पानी की वास्तविक पहुंच बढ़ाने और सुनिश्चित सिंचाई के अंतर्गत कृषि योग्य क्षेत्र का विस्तार करने, खेती के पानी की उपयोग दक्षता में सुधार करने, सतत् जल संरक्षण व्यवहारों की शुरुआत करने आदि के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2015-16 में "प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई)" का शुभारंभ किया था। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) का एक घटक हर खेत को पानी (एचकेकेपी) है। सतही लघु सिंचाई (एसएमआई) की स्कीम तथा जल निकायों की मरम्मत, पुनरुद्धार एवं पुनर्स्थापन (आरआरआर) अब पीएमकेएसवाई-एचकेकेपी का हिस्सा बन गई है। जल शक्ति मंत्रालय जल निकाय स्कीमों के एसएमआई तथा आरआरआर के अंतर्गत सिंचाई क्षमता (आईपी) के निर्माण तथा पुनर्स्थापन के लिए राज्यों को केन्द्रीय सहायता (सीए) प्रदान करता है। वित्तीय वर्ष 2021-22 से वित्तीय 2025-26 तक के लिए 4580 करोड़ रुपये के बजट परिव्यय और जल निकाय स्कीमों के एसएमआई तथा आरआरआर के माध्यम से 4.50 लाख हेक्टेयर की लक्षित सिंचाई क्षमता के साथ पीएमकेएसवाई-एचकेकेपी को जारी रखने का अनुमोदन किया गया है।

****

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 14.12.2023 को उत्तर दिए गए अतारांकित प्रश्न संख्या 1897 के भाग (ग) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

आकार श्रेणी के अनुसार सिंचाई के विभिन्न स्रोतों द्वारा सिंचित क्षेत्र

(आंकड़े '000 हेक्टेयर में)

	आकार श्रेणी	नहर	टैंक	कुएं	ट्यूबेल्स	अन्य	कुल
1	मार्जिनल	4783	912	2262	7818	1060	16835
2	लघु	3562	558	2891	6232	1021	14263
3	अर्द्ध मध्यम	3686	433	3219	6629	1028	14995
4	मध्यम	3441	259	2728	6001	836	13266
5	दीर्घ	1436	86	817	2485	384	5209
6	कुल	16908	2248	11917	29165	4329	64567

स्रोत: कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (कृषि जनगणना 2010-11)

टिप्पणी: नवीनतम कृषि जनगणना 2015-16 में विभिन्न स्रोतों द्वारा सिंचित क्षेत्र की जानकारी एकत्र नहीं की गई है। इस प्रकार, उपरोक्त आंकड़े कृषि जनगणना 2010-11 के अनुसार हैं।

****